



# छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, मुख्यालय, रायपुर

## आदेश

क्रमांक 120.....

दिनांक 22/12/15

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा राज्य की विभिन्न योजनाओं में लगायी जाने वाली पैसेंजर लिफ्ट/एलिवेटर के संबंध में आदेशित किया जाता है कि उक्त कार्य की एन.आई.टी. अनुमोदन/प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता (सिविल) द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यालय प्रेषित किये जायेंगे। लिफ्ट के निर्माण, स्थापना एवं संचालन से संबंधित सभी कार्य कार्यपालन अभियंता (सिविल) द्वारा निष्पादित किये जायेंगे तथा तकनीकी पर्यवेक्षण कार्यपालन अभियंता (विद्युत) द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावशील माना जाये।

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

रायपुर

क्रमांक 3302 /आ.आ./तक.शाखा/मुख्या./15

रायपुर, दिनांक 22/12/2015

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर ।
2. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय/संभाग ..... की ओर सूचनार्थ ।
3. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल विद्युत संभाग क.-1/2, रायपुर तथा विद्युत संभाग क.-3, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।

oc

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

रायपुर